न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 138 / 2021

श्रीमती गायत्री सैनी पत्नि श्री महेन्द्र कुमार सैनी, निवासी वार्ड नं0 10, ग्राम पोस्ट जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थिया

बनाम

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं।
2. श्रीमती मूली कुमारी पत्नि श्री सोहनलाल सैनी, निवासी ग्राम पोस्ट जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रा0प0 बाबत ग्राम पंचायत जहाज मे स्थित आंगनबाडी केन्द्र–2 (बोद्यामोड) की आंगनबाडी मे कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन बाबत।

––

1. श्रीमती गायत्री सैनी – स्वयं उपस्थित
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं– स्वयं उपस्थित
3. श्रीमती मूली कुमारी – स्वयं उपस्थित

निर्णय दिनांक :–18.08.2021

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती गायत्री सैनी पत्नि श्री महेन्द्र कुमार सैनी, निवासी वार्ड नं0 10, ग्राम पोस्ट जहाज, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया ने विज्ञप्ति क्रमांक 14237 / 21.07.2020 कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं के द्वारा ग्राम पंचायत जहाज मे स्थित आंगनबाडी केन्द्र सं0 2 (बोद्यामोड) मे कार्यकर्ता के रिक्त पद के लिए आवेदन किया था। उक्त चयन प्रकिया मे मूल्यांकन प्रपत्र मे अंक निर्धारित किये गये थे जिसमे मुझे समस्त मापदण्डों के तहत 6 अंक दिये गये। लेकिन निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र मे बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को 1 अंक अतिरिक्त देने का प्रावधान वर्णित है। लेकिन मुझे आस्था कार्ड होने के बावजूद 1 अंक नही दिया गया। प्रार्थिया स्वयं बी0पी0एल0 के समान आस्था कार्डधारी है जो कि राज्य सरकार की गाईडलाईन एवं दिशा निर्देश के अनुसार बी0पी0एल0 के समान आस्था कार्डधारी को समस्त सुविधा एवं लाभ देने का अधिकार / प्रावधान राज्य सरकार ने विधि प्रदत्त अधिकार प्रदान किये है। मुझे आस्था कार्ड सन् 2017 मे जारी करने के पश्चात् आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का बी0पी0एल0 समकक्ष व खादय सुरक्षा (NFSA) का लाभ नही दिया गया है। जिसके कारण मुझे चयन प्रकिया से वंचित किया गया जबकि मैंने इसका लाभ लेने हेतु माह अप्रैल 2020 मे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन इसका लाभ नही दिया

गया व अन्य महिला अभ्यर्थी श्रीमती मूली कुमारी का चयन कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का ग्राम पंचायत जहाज मे स्थित आंगनबाडी केन्द्र सं0 2 (बोद्यामोड) मे कार्यकर्ता के रिक्त पद पर करने की कृपा करे।

प्रार्थिया गायत्री सैनी, अप्रार्थिया मूली कुमारी एवं विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत जहाज मे स्थित आंगनबाडी केन्द्र सं0 2 (बोद्यामोड) मे कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन मे निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। प्रार्थिया बी0पी0एल0 के समकक्ष आस्था कार्डधारी है। आस्था कार्डधारी को राज्य सरकार के निर्देशानुसार वो समस्त लाभ देय है जो बी0पी0एल0 कार्डधारी को देय है। प्रार्थिया को आंगनबाडी कार्यकर्ता के चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र मे बी0पी0एल0 का 1 अंक अतिरिक्त नही दिया गया है। प्रार्थिया खाद्य सुरक्षा (NFSA) मे भी चयनित है। बावजूद इसके प्रार्थिया को 1 अंक अतिरिक्त नही दिया गया। उक्त पद के चयनित अभ्यर्थी मूली कुमारी व प्रार्थिया को मूल्यांकन प्रपत्र मे समान रूप से 6–6 अंक प्रदान किये गये है। चयन मे प्रार्थिया की विकलांगता को दरकिनार कर समान अंक होने के बावजूद अप्रार्थिया मूली कुमारी का गलत चयन किया गया है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना स्वीकार कर प्रार्थिया का ग्राम पंचायत जहाज मे स्थित आंगनबाडी केन्द्र सं0 2 (बोद्यामोड) मे कार्यकर्ता के रिक्त पद पर करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थिया के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया केन्द्रीय बी0पी0एल0 की सूची मे नही है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय बी0पी0एल0 चयनित को ही आंगनबाडी कार्यकर्ता चयन मे 1 अतिरिक्त अंकन देने का प्रावधान है। प्रार्थिया के आस्था चयनित होने के बावजूद उसे 1 अतिरिक्त अंक इसलिए नही दिया गया क्योंकि आस्था राज्य सरकार की योजना है जो केन्द्र की बी0पी0एल0 योजना के समकक्ष नही है। अतः उसे नियमानुसार बी0पी0एल0 का 1 अतिरिक्त अंक देय नही है। प्रार्थिया द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन के समय राशन कार्ड पेश नही किये जाने के कारण उसे खाद्य सुरक्षा (NFSA) का 1 अंक भी नही दिया गया है। मूल्यांकन प्रपत्र मे प्रार्थिया गायत्री देवी व अप्रार्थिया मूली कुमारी के समान 6–6 अंक होने से नियमानुसार उम्र मे बडी होने के कारण अप्रार्थिया मूली कुमारी का नियमानुसार चयन किया गया है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त कर अप्रार्थिया मूली कुमारी का चयन यथावत बहाल रखा जावे।

अप्रार्थिया मूली कुमारी ने प्रार्थिया के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत जहाज मे स्थित आंगनबाडी केन्द्र सं0 2 (बोद्यामोड) के रिक्त पद पर आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर उसका चयन नियमानुसार किया गया है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने बहस प्रार्थिया, अप्रार्थिया व विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र सं0 2 (बोद्यामोड) के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए आवेदन के समय प्रार्थिया द्वारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा (NFSA) का पेश नही किये जाने के कारण उसे 1 अतिरिक्त अंक का लाभ नही दिया गया। प्रार्थिया केन्द्रीय बी0पी0एल0 सूची मे चयनित नही है। जहां तक प्रार्थिया का यह कथन कि वह आस्था कार्डधारी है उसे बी0पी0एल0 के समान सुविधायें व लाभ देय है। इस संबंध मे विभागीय निर्देशानुसार आस्था कार्डधारी को केन्द्रीय बी0पी0एल0 के समकक्ष नही माना जा सकता है क्योंकि आस्था योजना राज्य सरकार की योजना है जो

केन्द्रीय बी0पी0एल0 योजना के समकक्ष नही है। मूल्यांकन रिपोर्ट मे प्रार्थिया गायत्री देवी को 6 अंक मिले है एवं अप्रार्थिया मूली कुमारी को भी 6 अंक मिले है। विभाग के परिपत्र के अनुसार अप्रार्थिया मूली कुमारी की उम्र प्रार्थिया गायत्री से अधिक होने के कारण अप्रार्थिया मूली कुमारी का चयन नियमानुसार किया गया है। अतः प्रार्थया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। अतः सारहीन होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनू